

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 224 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00289

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये रायपुर तहसीलदार		1. सुनीता पुत्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ब्यावर लोढ़ा कॉलोनी, ब्रह्मानन्द मार्ग, ब्यावर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री नवनीत गहलोत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक 14/5/2019

प्रार्थी तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रायपुर I तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1287/105 रकबा 10.00 बीघा किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। ग्राम रायपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2030 के अनुसार खसरा नम्बर 1287 की भूमि गै0मु0 नदी के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिये आदेश दिनांक 30.04.1976 के जरिये खसरा नम्बर 1287 में से 10 बीघा भूमि रसूल बक्ष पुत्र मोहम्मद अली जाति रंगरेज को आवंटन की गई। जो सिलसिलेवार हुए विक्रय विलेखों के आधार पर अप्रार्थी सुनीता के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 3369 के राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। चूंकि इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी। अतः उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आवंटन अब्दुल गफूर के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 30.04.1976 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 1106 को अपास्त करावें एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए हस्तान्तरणों के आधार पर दायर नामान्तरकरण संख्या 1592, 2990, 2313, 2715, 3106, 3109 तथा 3369 को अपास्त कराते हुए भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 नदी दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी अप्रार्थी की खरीदसुदा भूमि है, जिस पर अप्रार्थी बतौर खातेदार काबिज काश्त हैं। प्रार्थी द्वारा मूल आवंटी को पक्षकार संयोजित नहीं किया है तथा न ही रेवेन्यू कोर्ट्स मैनुअल 1956 के खण्ड द्वितीय के अध्याय 2 के नियम 30 की पालना की गई हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम रायपुर 1 तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1287/105 रकबा 10.00 बीघा किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। ग्राम रायपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2030 के अनुसार खसरा नम्बर 1287 की भूमि गै0मु0 नदी के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिये आदेश दिनांक 30.04.1976 के जरिये खसरा नम्बर 1287 में से 10 बीघा भूमि रसूल बक्ष पुत्र मोहम्मद अली जाति रंगरेज को आवंटन की गई। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1106 के जरिये आवंटी का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी द्वारा लगान का 2½ राशि जमा कराने पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 1592 के जरिये आवंटी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी रसूल बक्ष फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 2090 के आवंटी के वारिशान का नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी के वारिशान फकीर मोहम्मद, अब्दुल अजीज पि0 रसूल बक्ष, मु. जबरन बेवा रसूल बक्ष द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 30.06.1999 के रामेश्वर पुत्र मोडू जी जाति छीपा को बेचान किया, जिस पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 2313 के क्रेता का नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात रामेश्वर फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 2715 के रामेश्वर के का0मु0 दीपिका पुत्री भीकीदेवी, भानप्रकाश, पंकजकुमार पुत्रगण भीकीदेवी, चीमुदेवी, पिस्तादेवी, सन्तोषदेवी पुत्रियां रामेश्वर का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात सह खातेदार चीमुदेवी, पिस्तादेवी, सन्तोषदेवी पुत्रियां रामेश्वर द्वारा अपने हिस्से की भूमि विमलादेवी को बेचान की गई, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3103 के विमलादेवी पत्नी कैलाशचन्द शर्मा का नाम बतौर सह खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात दीपिका पुत्री भीकीदेवी, भानप्रकाश, पंकजकुमार पुत्रगण भीकीदेवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि जुबेदा पत्नी लियाकत को बेचान करने के कारण नामान्तरकरण संख्या 3109 के क्रेता जुबेदा का नाम बतौर सह खातेदार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात खातेदारान् द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अप्रार्थी सुनीता पुत्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत को बेचान किया, जिसके आधार पर अप्रार्थी सुनीता का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 3369 के राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। चूंकि इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है

  
 पति: विद्या कपूर, राजी



तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आदेश दिनांक 30.04.1976 द्वारा आवंटी रसूल बक्ष के नाम गै0मु0 नदी की भूमि में से 10 बीघा भूमि आवंटन किया, जो कालान्तर में सिलसिलेवार हस्तान्तरित होकर अप्रार्थी के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै0मु0 नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.1976 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 1106 को अपास्त करावें एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए हस्तान्तरणों के आधार पर दायर नामान्तरकरण संख्या 1592, 2990, 2313, 2715, 3106, 3109 तथा 3369 निरस्त योग्य हैं।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 30.04.1976 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 1106 को अपास्त करावें एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए हस्तान्तरणों के आधार पर दायर नामान्तरकरण संख्या 1592, 2990, 2313, 2715, 3106, 3109 तथा 3369 को अपास्त करते हुए ग्राम रायपुर I तहसील रायपुर जिला पाली के वर्तमान खसरा नम्बर 1287/105 रकबा 10.00 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 नदी दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।



  
(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)  
अति.जिला कलेक्टर, पाली